



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238027  
CG-DL-E-10082022-238027

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3587]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944

No. 3587]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

गृह मंत्रालय

(महिला सुरक्षा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2022

का.आ. 3755(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (2020 का 32) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसूचित करती है कि गोवा और त्रिपुरा में स्थापित परिसर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसरों के रूप में सम्मिलित होंगे।

[फा. सं. 23011/20/2020-डब्ल्यू. एस-III (भाग)]

श्यामल मिश्र, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Women Safety Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2022

S.O. 3755(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the National Forensic Sciences University Act, 2020 (32 of 2020), the Central Government hereby notifies that the campuses established at Goa and Tripura shall include as the campuses of the National Forensic Sciences University.

[F. No. 23011/20/2020-WS-III (Part)]

SHYAMAL MISRA, Jt. Secy.